



439
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 575873



Kanuwarpal Singh
Advocate
Reg. No. 2005/08
Electorate Court, Saharanpur
Ph. 9808858458



Virendra Singh
Advocate
Reg. No. 2005/08
Electorate Court, Saharanpur
Ph. 9003858458

सब रजिस्ट्रार द्वितीय
सहारनपुर।

फोटो प्रमाणितकर्ता:- कंवरपाल एडवोकेट

ट्रस्ट विलेख

यह ट्रस्ट विलेख दिनांक 24 अक्टूबर 2017 को बमुकाम सहारनपुर श्री प्रिन्स यादव पुत्र श्री विजयपाल सिंह निवासी श्री कृष्ण भवन पंजाबी बाग हकीकत नगर सहारनपुर (आधार सं 568151994799) (जिसे आगे इस ट्रस्ट विलेख में ट्रस्टकर्ता/संस्थापक के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) ट्रस्ट निर्माण ट्रस्ट कर्ता घोषित करता है कि :-

Pradeep Yachh



1

Daly



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DH 985810

जो कि द्रस्ट कर्ता संस्थापक सामाजिक व कार्यों में आस्था रखने वाले व्यक्ति है और उन्होंने वर्तमान द्रस्ट सामाजिक कार्यों के लिये बनाया है

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि द्रस्ट कर्ता अपने प्रस्ताव व इच्छा के अनुसार एवं द्रस्टगण –

- 1— प्रिन्स यादव पुत्र श्री विजयपाल निवासी श्री कृष्ण भवन, पंजाबी बाग, हकीकत नगर सहारनपुर।
- 2— दीपक गैरोला पुत्र श्री विरेन्द्र दत्त गैरोला निवासी 615 आवास विकास, ऋषिकेश, देहरादून (उत्तराखण्ड)
- 3— सुषमा पत्नी श्री विजयपाल निवासी 8, प्रीत विहार, फेस-2, निरंजनपुर, देहरादून।
- 4— नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री कवंरपाल सिंह निवासी सैकटर-8 आवास विकास कालोनी आगरा उत्तर प्रदेश।

Signature



2

Signature





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DH 985811

(जिन्हें आगे इस विलेख में ट्रस्टगण के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) की स्वीकृति को दृष्टिगत रखते हुये ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 10000/- रु० ट्रस्टगण को सोंपकर आरम्भ किया जा रहा है। वर्तमान में इस ट्रस्ट की राशि 10000/- रु० है। यह राशि ट्रस्ट के कोष में स्थायी रूप से रहेगी जोकि ट्रस्ट कर्ता के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से उपरोक्त सभी ट्रस्टगण ने ट्रस्टकर्ता/संस्था की मंशा से काम करना स्वीकार कर लिया है। अब ट्रस्टकर्ता निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर वर्णित समस्त ट्रस्टगण के पक्ष में कार्य करने का इकरार करता है कि :-


- 1— यह कि ट्रस्ट का नाम किंचित प्रयास फाउंडेशन होगा।
 - 2— यह कि ट्रस्ट का पंजीकृत पता 2सी0/2014ए0 श्री कृष्ण भवन, पंजाबी बाग हकीकत नगर सहारनपुर होगा। जोकि किराये पर लिया है।

from Yester



3

A photograph showing a handwritten signature "John G. Dale" on the left and a large, dark, circular fingerprint on the right.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 512048

- 3— यह कि इस ट्रस्ट में अन्य सम्पत्ति को भी सम्मिलित किया जायेगा जो ट्रस्टकर्ता द्वारा ट्रस्टगण को सुपुर्द की जायेगी जो किसी भी चल अचल सम्पत्ति या नकद राशि इत्यादि के रूप में हो सकेगी तथा दान, भेंट इत्यादि को समय—समय पर अर्जित होने वाली आय के रूप में भी हो सकेगी। आवश्यकता पड़ने पर सभी ट्रस्टगण की सहमति से ऋण भी लिया जा सकेगा।
- 4— यह कि इस ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय २०१०/२०१४ श्री कृष्ण भवन, पंजाबी बाग हकीकत नगर सहारनपुर रहेगा। जोकि किराये पर लिया है।
- 5— यह कि इस ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा।
- 6— यह कि ट्रस्ट सम्पत्ति से समस्त आय में से ट्रस्टगण द्वारा किये गये समस्त खर्च, टैक्स गृह कर एवं अन्य विभिन्न कर, भूमि कर, भवन के परिवर्तन व्यय, भवन की मरम्मत व उनके रंगरोगन, प्रबन्धकों लेखपालों, लिपिकों और अन्य कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन और मजदूरी और अन्य सम्बन्धित खर्च इत्यादि को आय में से



4




घटाकर जो राशि शेष रहेगी, उस शुद्ध आय का उपयोग पैरा नं० (07) में वर्णित ट्रस्ट के उद्देश्यों को अर्जित करने के लिये मान्य होगा।

- 7— यह कि इस ट्रस्ट का उद्देश्य सामाजिक कार्य होगा। ट्रस्टगण द्वारा शेष शुद्ध आय की राशि का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयोजनार्थ किया जायेगा :—
1. स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में आमजन को जागरूक करना।
 2. महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना व महिलाओं को शिक्षित कर माहवारी से सम्बन्धित भ्रान्तियों को दूर करना।
 3. मासिक धर्म से सम्बन्धित वर्जनाओं का उन्मूलन करना व माहवारी धर्म के स्वच्छता के बारे में जागरूक करना।
 4. समाज में माहवारी के बारे में महिलाओं के साथ—साथ पुरुषों में भी जागरूकता लाना।
 5. राईट टू पी के बारे में जागरूकता लाना।
 6. किसानों को कृषि एवं जैविक खेती के बारे में जागरूक करना।
 7. पर्यावरण संरक्षण व जन संरक्षण की दिशा में कार्य करना।
 8. वृद्धाश्रम व अनाथालयों का निर्माण कर संचालन करना।
 9. गुरुशालाओं का निर्माण करना एवं गौ माता की रक्षा हेतु उपाय करने का प्रयास करना।
 10. युवक युवतियों एवं बच्चों के लिये कम्प्यूटर शिक्षा का प्रबन्ध कर सूचना प्रौद्योगिक क्षेत्र में जानकारी एवं प्रशिक्षण उपलब्ध करना।
 11. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में लोगों को जागरूक करना।
 12. समाज में आपसी सद्भाव, राष्ट्रीय एकता एवं भाईचारा कायम करना।
 13. समाज के लिये प्राईमरी स्तर से उच्च स्तर तक स्कूलों कालेजों का नियमानुसार निर्माण कर संचालन करना।
 14. मेधावी छात्रों को पुरस्कृत कर उनका मनोबल बढ़ाना।



15. हस्तशिल्प, हथकरघा एवं वस्त्र मंत्रालय की योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर लोगों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण संचालन करना।
16. जल एवं स्वच्छता मिशन की योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर जल संरक्षण एवं संवर्द्धन जागरूकता कार्यशाला/प्रशिक्षण आदि का निःशुल्क संचालन करना।
17. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की योजनाओं का प्रचार कर लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जागरूक करने हेतु कार्यशाला आदि का संचालन करना।
18. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक कर निःशुल्क कार्यशाला/प्रशिक्षण आदि का संचालन करना।
19. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक कर निःशुल्क कार्यशाला/प्रशिक्षण आदि का संचालन करना।
20. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक कर निःशुल्क कार्यशाला/प्रशिक्षण आदि का संचालन करना।
21. ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक कर निःशुल्क कार्यशाला/प्रशिक्षण आदि का संचालन करना।
22. अल्प संख्यक मंत्रालय की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक कर निःशुल्क कार्यशाला/प्रशिक्षण आदि का संचालन करना।
23. जैव प्रौद्यागिकी, आयुष मंत्रालय की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक कर निःशुल्क कार्यशाला/प्रशिक्षण आदि का संचालन करना।
24. चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रलाय की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक कर निःशुल्क कार्यशाला/प्रशिक्षण आदि का संचालन करना।
25. सांस्कृतिक मंत्रालय की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक कर निःशुल्क कार्यशाला/प्रशिक्षण आदि का संचालन करना।
26. सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक कर निःशुल्क कार्यशाला/प्रशिक्षण आदि का संचालन करना।
27. कौशल विकास एवं उद्मिता मंत्रालय की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक कर निःशुल्क कार्यशाला/प्रशिक्षण आदि का संचालन करना।
28. दहेज प्रथा, महिला उत्पीड़न, बाल श्रम, यौन शोषण जैसी कुप्रथाओं को सम्भावित गतिविधियों द्वारा समाप्त करना व पीड़ितों को सहारा देना।

29. वेरोजगार युवक, युवतियों हेतु स्वरोजगार हेतु विभिन्न प्रकार के निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना।
30. शिक्षा का भारतीय संस्कृति, संस्कारों के आधार पर प्रचार एवं प्रचार करना आदि।
31. गरीब असहाय नेत्रहीन लोगों के लिये निःशुल्क मोतियाबिन्द के आप्रेशन कैम्पों का आयोजन करना तथा धर्मार्थ नेत्र बैंको व धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालयों की स्थापना करना एवं उनका विधिवत संचालन करना।
32. परोपकार की भावना को बनाये रखने हेतु लोगों को रक्तदान एवं नेत्रदान के लिये जागरूक करना।
33. मलिन वस्तियों के व्यक्तियों के जीवन स्तर को उठाने के लिये विभिन्न सरकारी योजनाओं से अवगत कराना।
34. कृषक चर्चा अभियान चलाकर कृषकों को नई वैज्ञानिक तकनीक से कृषि करना, रासायनिक खादों का संतुलित एवं सीमित मात्राओं में प्रयोग, जैविक खाद एवं जैविक कीटनाशकों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना। कृषि फार्म मशीनरी से सम्बन्धित जानकारी देना।
35. ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गी पालन, मधुमक्खी (मौन) पालन, पुष्पोत्पादन औषधि उत्पादन, बागवानी तथा मशरूम की खेती एवं अन्य उन्नत कृषि को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा कर इनके लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर गावों का सर्वांगीण विकास का प्रयत्न करना।
36. ग्रामीण, शहरी एवं कस्बों के विकास के लिए जिला पंचायत, जिला ग्राम्य अभिकरण, जिला योजना एवं अन्य योजनाओं तथा भूमि संरक्षण, कृषि सुधार सम्बन्धी विकास कार्यों में नियमानुसार सहयोग कर कार्य सम्पादित कराना।
37. अपारम्परिक ऊर्जा स्रातों/संयंत्रों, गोबर गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि पर आधारित कार्यक्रमों का प्रदर्शन एवं विकास करना।



38. पॉलीथीन के दुरुपयोग से किसानों को अवगत कराना तथा बिजली-पानी बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना एवं इसके लिए प्रयास करना ।
39. मधुमक्खी पालन (मौन पालन) व पॉलिट्री फार्म की स्थापना करना तथा इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण देना तथा सेमिनार आयोजित करना ।
40. सभी प्रकार के कुटीर उद्योग धन्धों की निःशुल्क स्थापना करना ।
41. बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए बागवानी प्रशिक्षण संस्थानों की निःशुल्क स्थापना करना ।
42. ग्रामोद्योगों की स्थापना हेतु लोगों को प्रेरित करना ।
43. निराश्रित एवं उपेक्षित वृद्धों, निर्धनों, विकलांगों एवं अनाथ बच्चों के लिए सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने लिए निःशुल्क आवास, भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था करना एवं उन्हें स्वावलम्बी बनाने का प्रयास करना ।
44. गरीब व असहाय लोगों के निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था करना ।
45. गरीब, असहाय लोगों की लड़कियों के लिए विवाह में निःशुल्क मदद करना ।
46. प्रौढ़ शिक्षा हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना ताकि अधिक से अधिक प्रौढ़ों को शिक्षित किया जा सके ।
47. जनहित में बिजली पानी बचाने के लिये लोगों को प्रेरित करना ।
48. यातायात के नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करना तथा होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के दूर करने के प्रयास करना ।



8. यह कि वर्तमान में इस ट्रस्ट के ट्रस्टगण की संख्या 04 है। जिसमें ट्रस्ट कर्ता/संस्थापक भी सम्मिलित है। जिनका विवरण ऊपर दिया जा चुका है लेकिन भविष्य में इस ट्रस्ट के ट्रस्टगण को अधिकतम कुल संख्या 11 तक ट्रस्टकर्ता संस्थापक मनोनीत कर सकेगा। जिनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा जोकि तीन वर्ष हो जाने के पश्चात स्वतः ही समाप्त हो जायेगा। इससे अधिक ट्रस्टी किसी भी दशा में नियुक्त नहीं किये जा सकेंगे।
9. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट सम्पत्ति या उसमें किसी भाग को किसी पूँजी निवेश करने के प्रयोजनार्थ कार्य के लिये उपयोग करने का अधिकार ट्रस्टगण को होगा।
10. यह कि ट्रस्टगण के मध्य मत भेद हो जाने की दशा में संस्थापक ट्रस्टकर्ता को अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार होगा।
11. यह कि इस ट्रस्ट में ट्रस्ट कर्ता संस्थापक को मनोनीत ट्रस्टगण होने के लिये आवश्यक होगा कि वह भारत का नागरिक हो, व्यस्क हो, ट्रस्ट के कार्य क्षेत्र का निवासी हो, पागल या दिवालिया न हो तथा वह न्यास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में रुचि रखता हो।
12. यह कि ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होगा।
13. यह कि ट्रस्ट बोर्ड की बैठक के बहुमत से किसी ट्रस्टी का निष्कासन निम्न आधारों पर किया जा सकेगा :—
- 1— प्राकृतिक व अप्राकृतिक मृत्यु होने पर।
 - 2— दिवालिया हो जाने पर।
 - 3— पागल हो जाने पर।
 - 4— किसी न्यायालय द्वारा कठोर कारावास से दण्डित किये जाने पर।
 - 5— स्वयं त्याग पत्र देने पर।
 - 6— किसी भी प्रकार से ट्रस्ट का अहित करने पर।

7- ट्रस्ट की साख को गिराने पर।

14. यह कि ट्रस्ट के निम्न चार पदाधिकारी होंगे :—

- 1— ट्रस्टकर्ता/संस्थापक अध्यक्ष
- 2— प्रबन्धक
- 3— कोषाध्यक्ष
- 4— ट्रस्टी

प्रत्येक दशा में ट्रस्टकर्ता संस्थापक ही अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। प्रबन्धक, कोषाध्यक्ष को संस्थापक/अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।

15. यह कि ट्रस्ट बोर्ड की मीटिंग वर्ष में एक बार होगी। जिसकी सूचना 10 दिन पूर्व दी जायेगी तथा विशेष आपातकाल परिस्थिति में बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है और विशेष बैठक की सूचना 02 दिन पूर्व दी जायेगी।

16. ट्रस्ट बोर्ड के अधिकार एवं कर्तव्य निम्नलिखित होंगे :—

1. आय व्यय का वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना।
2. किसी ट्रस्टी की मृत्यु हो जाने पर अथवा उसके 7 वर्ष तक पता न चलने पर अन्य ट्रस्टी की नियुक्ति का अधिकार।
3. ट्रस्ट की तरक्की के लिये देश—विदेश, राज्य सरकार, भारत सरकार आदि से अनुदान प्राप्त करना तथा विधायक निधि, सांसद निधि आदि से सहयोग प्राप्त करना तथा इसके अतिरिक्त ट्रस्ट समाज सेवी संस्थाओं से भी सहायता प्राप्त कर सकता है तथा ट्रस्ट अपनी उन्नति हेतु सरकारी व गैर सरकारी बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकता है।
4. ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर किसी भी ट्रस्टी के विरुद्ध कार्य करना यदि आवश्यक हो तो उसे हटाना। किसी भी ट्रस्टी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कायवाही करना।
5. ट्रस्ट की तरक्की हेतु समयानुसार ट्रस्ट के नियमों में बहुमत से संशोधन करना।



17. यह कि ट्रस्ट प्रबन्धकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य निम्नलिखित होंगे :—

(1) संस्थापक अध्यक्ष :—

1. ट्रस्ट का संचालन करना।
2. ट्रस्ट की सभी प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना।
3. ट्रस्ट की प्रत्येक मीटिंग हेतु नोटिस जारी करना।
4. आवश्यक खर्च हेतु 10 हजार रूपये की धनराशि अपने पास रखना।
5. ट्रस्ट के प्रबन्ध संचालन हेतु प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष को आवश्यक निर्देश देना।
- 6- ट्रस्ट के उद्देश्यों को क्रियान्वयन करने हेतु स्वयं का प्रचार सम्पूर्ण देश विदेश में किसी भी जगह करना/कराना।
- 7- ट्रस्ट के हितार्थ चल व अचल सम्पत्ति का क्रय—विक्रय करना।
- 8- ट्रस्ट के कोष हेतु किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राईवेट बैंक में खाता खोलना व अपने हस्ताक्षरों से खाते का संचालन करना।
आय—व्यय के वाऊचर्स पर अपने हस्ताक्षर कर पारित कराना।

(2) प्रबन्धक :—

1. ट्रस्ट का प्रबन्ध संचालन अध्यक्ष/संचालक के निर्देशानुसार करना।
2. ट्रस्ट की ओर से अथवा उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही का संचालन स्वयं अथवा अपने द्वारा नियुक्ति किसी व्यक्ति द्वारा कराना।

(3) कोषाध्यक्ष :—

ट्रस्ट के कोष का आय—व्यय का ब्यौरा अपने पास रखना तथा कैशबुक लिखना/लिखवाना आय—व्यय के वाऊचर्स को अपने पास सुरक्षित रखना।



18. ट्रस्टकर्ता / संस्थापक अध्यक्ष के विशेष अधिकार निम्नलिखित होंगे :—

- (अ) संस्थापक अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह अपने जीवनकाल में किसी व्यक्ति को संस्थापक अध्यक्ष के रूप में मनोनीत कर सकेगा।
- (ब) संस्थापक अध्यक्ष की मृत्यु हो जाने पर या कार्य करने में सक्षम न रहने पर। उनके द्वारा किया गया मनोनीत व्यक्ति संस्थापक अध्यक्ष के पद पर कार्य करेगा।
- (स) यदि किसी कारण से संस्थापक अध्यक्ष अपने जीवनकाल में कोई व्यक्ति मनोनीत नहीं कर पाता है तो अध्यक्ष ट्रस्टीज के द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो हिन्दू धर्म को मानने वाला हो चुना जायेगा।

19. ट्रस्ट का वार्षिक हिसाब किताब रखना।

20. यह कि यदि कोई संशोधन जरूरी है तो वह अध्यक्ष द्वारा संशोधन किया जा सकेगा।

21. यह कि ट्रस्ट की ओर से व ट्रस्ट के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही संस्थापक अध्यक्ष द्वारा अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

22. यह कि ट्रस्ट अपनी तरक्की हेतु सरकारी, गैर सरकारी विभागों से ऋण प्राप्त कर सकता है तथा स्वयं सेवी संस्थाओं से सहायता प्राप्त कर सकता है।

23. यह कि ट्रस्ट का कोष किसी राष्ट्रीय बैंक यानि सरकारी, गैर सरकारी बैंक में खाता खुलवाकर जमा किया जायेगा।

24. यह कि खातों का संचालन ट्रस्टकर्ता, संस्थापक अध्यक्ष के पदनाम से खाता खुलवाया जोयगा। जिसका संचालन संस्थापक अध्यक्ष के हस्ताक्षर से होगा।



25. यह कि ट्रस्ट के अभिलेख कार्यवाही रजिस्टर, एजेण्डा रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कैश बुक, रसीद बुक व अन्य आवश्यक कागजात ।

26. यह कि ट्रस्ट का विघटन विशेष परिस्थितियों में ट्रस्ट बोर्ड के निर्णय पर भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार होगा ।

27. यह कि ट्रस्ट की सम्पत्ति ट्रस्ट पंजीयन हेतु वर्तमान में ट्रस्ट के पास 10 हजार रु० की धनराशि उपलब्ध है । जिसके आधार पर स्टाम्प शुल्क 750/- रु० अदा किया जा रहा है ।

28. यह कि ट्रस्ट की ट्रस्टीज की संख्या 04 है । जिसमें श्री प्रिन्स यादव ट्रस्टकर्ता— संस्थापक अध्यक्ष, प्रबन्धक, कोषाध्यक्ष तथा एक ट्रस्टी है । ये सभी ट्रस्टी जीवन पर्यन्त तक ट्रस्ट में बने रहेंगे तथा संस्थापक अध्यक्ष अपनी सहमति से कुछ ट्रस्टी कुछ समय के लिये मनोनीत कर सकता है । मनोनीत किये जाने वाले ट्रस्टी की संख्या एवं उसका कार्यकाल संस्थापक अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर रहेगा, परन्तु उन्हें वोट का अधिकार नहीं होगा ।

क्रमांक	नाम व पिता का नाम व पता	व्यवसाय	पद
1	प्रिन्स यादव पुत्र श्री विजयपाल निवासी श्री कृष्ण भवन, पंजाबी बाग, हकीकत नगर सहारनपुर ।	व्यापार	संस्थापक अध्यक्ष
2	दीपक गैरोला पुत्र श्री विरेन्द्र दत्त गैरोला निवासी 615 आवास विकास, ऋषिकेश, देहरादून (उत्तराखण्ड)	व्यापार	प्रबन्धक
3	सुषमा पत्नी श्री विजयपाल निवासी 8, प्रीत विहार, फेस-2, निरंजनपुर, देहरादून ।	गृहणी	कोषाध्यक्ष
4	नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री कवरंपाल सिंह निवासी सैक्टर-8 आवास विकास कालोनी आगरा उत्तर प्रदेश ।	नौकरी	ट्रस्टी

29. इस द्रस्ट के नाम आज से पूर्व कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है।
केवल चल धनराशि रु0 10,000/- है।
30. यह कि उपरोक्त किंचित् प्रयास फाउंडेशन, 2सी0/2014ए0 श्री कृष्ण भवन, पंजाबी बाग हकीकत नगर सहारनपुर के दस्तावेज के सभी नियमों व उपनियमों को हम सभी ने सोच समझकर व्यस्थित दशा में द्रस्ट अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया हो। जिसकी तस्वीक आज दिनांक 24.10.2017 को निम्न सांक्षीण की उपस्थिति में की गयी तथा द्रस्ट के रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्ताव नं0 3 के अनुसार संस्थापक अध्यक्ष श्री प्रिन्स यादव को अधिकृत किया गया है।

रोहीत कुमार यादव

ह0- रोहीत कुमार यादव
म/ द्यमपूत रिहू
ग्रामो - इबजुदी ज्यकबरपुर
सहारनपुर



Kanwarpal Singh
Advocate
Reg. No.-2986/08
Velectorate Court, Saharanpur
मो-9808858458

Kanwarpal Singh
Advocate
Reg. No.-2986/08
Velectorate Court, Saharanpur
मो-9808858458

रचियता :- कवरपाल एडवोकेट

Kanwarpal Singh
Advocate
Reg. No.-2986/08
Velectorate Court, Saharanpur
मो-9808858458

टाईपकर्ता:- Raveen
7409568436

आज दिनांक 24/10/2017 को
वही सं. 4 जिल्ड सं. 148
पृष्ठ सं. 1 से 36 पर क्रमांक 202
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

